

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या-1/श्रम वि० स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 45 पटना, दिनांक- 18.6.15

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या- 13561/2014 में दिनांक- 22.05.2015 को पारित न्यायादेश में विभागीय अधिसूचना संख्या-2/ई 1-(राज)- 2094/2013 श्र०सं०- 373 दिनांक- 30.01.2014 को निरस्त किया गया है। तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-2/ई 1-(राज)- 2094/2013 श्र०सं०- 373 दिनांक- 30.01.2014 को निरस्त करते हुए श्री सूर्य नन्दन प्रसाद, कारखाना निरीक्षक को मुख्य कारखाना निरीक्षक के प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

संख्या- 1/श्रम वि० स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 45 पटना, दिनांक- 18.6.15

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

संख्या- 1/श्रम वि० स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 45 पटना, दिनांक- 18.6.15

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

संख्या- 1/श्रम वि० स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 45 पटना, दिनांक- 18.6.15

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, श्रम संसाधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/डॉ० शमशेर बहादुर सिंह, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना/श्री सूर्य नन्दन प्रसाद, कारखाना निरीक्षक/ श्री संजय कुमार द्विवेदी, कारखाना निरीक्षक, पटना/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

संख्या- 1/श्रम वि० स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 45 पटना, दिनांक- 18.6.15

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव